

2019/00141

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवान..... करलुदी वनाम सरकार जरिये मिहडलान्त

किस्म प्रकरण- अपील

प्रकरण संख्या... 18/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
13/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित। बाद मुलाहिजा रीडर रिपोर्ट पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। विपक्षी के अतिरिक्त सम्बन्धित रिकार्ड की अदालत मातहत से तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 10/12/19 को पेश हो।	
10/12/19	<p>182 सजा तलबी रिकार्ड रिपोर्ट प्राप्त हुई है</p> <p>वकील... 3.2.19 पीठासीन अधिकारी महो... की कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक... 11/12/19 को पेश हो।</p>	1137 19/11/19
11/12/19	<p>वकील... 8.12.19 पक्ष उपस्थित</p> <p>पीठासीन अधिकारी महो... की कार्य में व्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक... 16/12/19 को पेश हो।</p>	
16/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित। वकील अपीलान्त रिपोर्ट एवं तलबी रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 18/12/19 को पेश हो।	
18/12/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त एवं वेंरोकार राजान उपरोक्त राजान द्वारा तहसीलदार सभा से प्राप्त रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर नथन किया कि अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार सभा द्वारा दर्ज किया गया 2529 दिनांक 14.6.19 के विरुद्ध प्रत्युत की गयी है। जिले की इस न्यायालय में पूर्व में अपील प्रत्युत हो चुकी है जो इस न्यायालय में अपील नम्बर सं. 14/19 उन्वानी कटैया लाल वनाम मिहडलान्त पर दर्ज होकर दिनांक 13/11/19 को निर्णित हो चुकी है। जिले के द्वारा नम्बर सं. 2529 दिनांक 14.6.19 को रवारिज करने के आदेश प्रदान किये जाकर प्रकृत तहसीलदार सभा को रिपोर्ट किया गया है। हालांकि प्रत्युत अपील रिसपूडी केरा की श्रेणी में आने के कारण रवारिज किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्त भी वेंरोकार राजान के कवन ले सहमत हैं। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्त द्वारा प्रत्युत अपील रिसपूडी केरा की श्रेणी में आती है। वकील अपीलान्त रवारिज की जाती है। पत्रावली फैसल 2 सजा होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाविल आगियेव की जावे आशा सुनायी गयी।</p>	

डॉ० एस. पी. सिंह  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

